भारत सरकार
Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग
Department of Atomic Energy
निर्माण,सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
प्रवर्तन अनुभाग Enforcement Section

विक्रम साराभाई भवन / Vikram Sarabhai Bhavan,
दूसरा तल, उत्तर स्कंध /2nd Floor, North Wing,
अणुशक्तिनगर/ Anushaktinagar,
मुंबई /Mumbai-400 094
दूरभाष Telephone: 25487245

सं. निसेसंप्रनि/प्रवर्तन/ई-5259/2025/103
No. DCSEM/Enft/e-5259/2025/103

मई May 30 , 2025

परिपत्र CIRCULAR

विषय: विभागीय भवनों के सामान्य क्षेत्र और मार्ग से निजी सामान हटाने के संबंध में।
Subject: Removal of personal belongings from common areas and passages of departmental buildings – reg.

इस निदेशालय के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि अणुशक्तिनगर के कुछ निवासी विभागीय भवनों के सामान्य मार्ग, जैसे कि फायर हाइड्रेंट डक्ट और सर्विस डक्ट, में अपना निजी सामान जैसे जूते रखने की रैक, साइकिल, पौधों के गमले आदि रख रहे हैं। फायर हाइड्रेंट डक्ट और सर्विस डक्ट को ब्लॉक करना अग्नि सुरक्षा का उल्लंघन है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति के दौरान अग्नि सुरक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

It has been brought to the notice of this Directorate that some residents of Anushaktinagar are placing their personal belongings such as shoe racks, bicycles, plant pots, etc. in the common passages of the departmental buildings including fire hydrant ducts and service ducts. Blocking fire hydrant ducts and service ducts is a severe fire safety violation and can have serious consequences as they are crucial for fire safety and can cause hindrance during emergency situations.

2. इस संबंध में, इस निदेशालय द्वारा पहले भी परिपत्र जारी किए जा चुके हैं, जिसमें निवासियों को सलाह दी गई थी कि वे गलियारों, सीढ़ियों, लैंडिंग, बिजली के सर्विस बॉक्स, कॉमन पैसेज, छत, लिफ्ट लॉबी, फायर हाइड्रेंट डक्ट, सर्विस डक्ट और इमारतों के अन्य सामान्य क्षेत्रों में और उसके आसपास अपना कोई भी निजी सामान न रखें। कुछ रेजिडेंट एसोसिएशन ने स्वयं निवासियों को ऐसे क्षेत्रों से अपना निजी सामान हटाने के लिए सूचित करने की पहल की है, लेकिन बताया गया है कि निवासी सहयोग करने से इनकार करते हैं एवं एसोसिएशन के सदस्यों के प्रति आक्रामक व्यवहार भी व्यक्त करते हैं।

In this regard, circulars have already been issued by this Directorate advising the residents to refrain from keeping any of their personal belongings in and around the corridors, staircases, landings, electrical service boxes, common passages, terrace area, lift lobbies, fire hydrant ducts, service ducts and other common areas of the buildings. Certain residents associations have themselves taken the initiative of intimating the residents to remove their personal items from such areas, but it is reported that the residents fail to cooperate and also express aggressive behaviour towards the members of the association.

3. सरकारी आवासों के आबंटन (परमाणु ऊर्जा विभाग) बॉम्बे नियम 1982 के नियम XV (ए) के अनुसार, जिस अधिकारी को आवास आबंटित किया गया है, वह संपदा प्रबंधन निदेशालय की संतुष्टि के लिए आवास और परिसर को स्वच्छ स्थिति में बनाए रखेगा। सरकारी आवासों के आबंटन (परमाणु ऊर्जा विभाग) बॉम्बे नियम 1982 के नियम XV (डी) के अनुसार, सीढ़ियों, लैंडिंग और सामान्य मार्ग, सर्विस शाफ्ट और छतों, तथा इमारतों के आसपास कोई वस्तु नहीं रखी जाएगी। आबंटिती की ओर से इस नियम के प्रावधानों के विपरीत किसी भी कार्य को संपदा प्रबंधन निदेशालय द्वारा आबंटिती के जोखिम और लागत पर निपटाया जाएगा और आबंटन भी रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

As per Rule XV (a) of Allotment of Government Residences (Department of Atomic Energy) Bombay Rules 1982, the official to whom a residence has been allotted shall maintain the residence and premises in a clean condition to the satisfaction of the Directorate of Estate Management. As per Rule XV (d) of Allotment of Government Residences (Department of Atomic Energy) Bombay Rules 1982, no article shall be kept on the staircase, landings and common passages, service shafts and terraces, and around the buildings. Any act on the part of the allottee contrary to the provisions of this Rule shall be dealt with as deemed fit by the Directorate of Estate Management at the risk and cost of the allottee and the allotment is also liable to be cancelled.

4. आगे से, यदि कोई निवासी विभागीय भवनों के सामान्य क्षेत्रों में अपना निजी सामान रखते हुए पाया जाता है, तो ऐसी वस्तुओं को स्क्रैप माना जाएगा और संबंधित अनुरक्षण इकाई के प्रभारी अभियंता द्वारा आबंटिती को बिना सूचित किए उन वस्तुओं का निपटान किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी कीमत पर इस निदेशालय द्वारा कोई अभ्यावेदन/शिकायत स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा, आबंटिती के खिलाफ आबंटन नियमों के उल्लंघन के लिए उचित समझी जाने वाली कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।

Henceforth, if any residents are found keeping their personal belongings at the common areas of the departmental buildings, then such items will be treated as scrap and disposed of by Engineer In-Charge of the concerned Maintenance Unit without any intimation to the allottee. No representations/complaints in this regard will be entertained by this Directorate at any cost. In addition, action as deemed fit will be initiated against the allottee for violation of Allotment Rules.

5. उपरोक्त के मद्देनजर, अणुशक्तिनगर के सभी आबंटितियों/निवासियों को निर्देश दिया जाता है कि वे भवन परिसर के सामान्य क्षेत्रों से अपना निजी सामान तुरंत हटा लें।

In view of the above, all the allottees/residents of Anushaktinagar are directed to remove their personal belongings from the common areas of the building premises, immediately.

6. इसे इस निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of Competent Authority in this Directorate.

30-5-2025

(एस. एस. गोंडाणे S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी Chief Administrative Officer

अणुशक्तिनगर एवं मुंबई में स्थित अन्य पऊवि कोलोनियों के सभी आबंटिती - अनुरक्षण इकाइयों के माध्यम से प्रदर्शन/व्यापक प्रचार हेतु।

Allottees of Anushaktinagar/other DAE colonies in Mumbai – Through respective maintenance units and also for display/wide publicity.

Copy to:

1. मुंबई स्थित सभी पऊवि यूनिटों के प्रधान - उनकी इकाई में कर्मचारियों के बीच संचलन के लिए।
   Administrative Heads of all DAE units in Mumbai – For circulation among the employees in their unit.
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर Chief Security Officer, Anushaktinagar.
3. महासचिव, आरवा, मारवा, डब्लूएसआरडब्लूए General Secretary, ARWA/MRWA/WSRWA
4. निसेसंप्रनि वेबसाइट DCSEM website.